न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 32/2018 एल.आर.एक्ट

1. थारुराम पुत्र साधूराम जाति ओड राजपूत साकिन चक 3 जेजे. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बन्नी बाई तथाकथित पत्नी शानूराम जाति ओड़ राजपूत साकिन चक 3 जेजे तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. ग्राम पंचायत 4 जे.जे. पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।
3. सचिव, ग्राम पंचायत 4 जेजे., पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।

..........रेस्पोन्डेंट्स

अपील संख्याः 33/2018 एल.आर.एक्ट

1. थारुराम पुत्र साधूराम जाति ओड राजपूत साकिन चक 3 जेजे. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बन्नी बाई तथाकथित पत्नी शानूराम जाति ओड़ राजपूत साकिन चक 3 जेजे तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. राजस्थान सरकार

..........रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री विजयकुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट ।
2– श्री कृष्ण बेनीवाल – अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01

निर्णय

दिनांक 22.10.19

1. अपील सं. 32/2018 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड न्यायालय पदमपुर द्वारा प्रथम अपील सं0 5/2016 अनवान बन्नी बाई बनाम ग्राम पंचायत 4 जेजे वगैरह में पारित किये गये निर्णय दिनांक 4.10.16, जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 194 दिनांक 16.11.96 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार पदमपुर को रिमाण्ड किया गया, के विरुध्द यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।
2. अपील सं0 33/2018 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार पदमपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में पारित किये गये निर्णय दिनांक 20.1.17, जिसके वसीयत 22.6.06 को उचित मानते हुए वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये, के विरुध्द यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।
3. उपरोक्त दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवम् पक्षकार समान होने से इन्हें एक ही निर्णय से निर्णीत किया जाता है ।
4. अपील सं0 32/2018 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 जेजे तहसील पदमपुर के मुरब्बा सं0 11 की 11.00 बीघा भूमि शानूराम पुत्र साधुराम जाति राजपूत के नाम से

जीवों के आधार पर आवंटित होकर खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । जिसमें से शानूराम द्वारा 2 बीघा रकबा जगन्नाथ वल्द केवलराम को बेचान करने पर बैयनामा का नामान्तरकरण सं0 194 दिनांक 16.11.96 सरपंच, ग्राम.पं. 4 जेजे द्वारा स्वीकृत किया जाकर शानूराम का 38 हिस्सा, शान्तिबाई पत्नी सानूराम का 78 हिस्सा व साधुराम पुत्र चेलाराम का 78 हिस्सा दर्शाया गया । उक्त बैयनामा में हिस्सा दर्ज करने व नामान्तकरण में कटिंग होने के आधार पर उक्त नामान्तरकरण सं0 194 दिनांक 16.11.96 के विरुध्द बन्नी बाई पत्नी शानूराम रेस्पोन्डेंट सं0 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष प्रथम अपील सं0 5/2016 प्रस्तुत की गयी, जिसमें मुख्य आधार यह लिया गया कि शानूराम वल्द साधूराम की भूमि को आगे शान्ति बाई पत्नी शानूराम व साधूराम वल्द चेलाराम के नाम भी हिस्सों का इन्तकाल स्वीकृत किया गया है, परन्तु हिस्सा किस आधार पर दर्ज कर स्वीकृत किया, स्पष्ट नहीं किया गया है । उक्त अपील प्रस्तुत होने पर उपखण्ड न्यायालय, पदमपुर द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 4.10.16 को निर्णय पारित कर प्रकरण तहसीलदार पदमपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वह पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बैयनामा के आधार पर जगन्नाथ के नाम 2 बीघा दर्ज की गयी भूमि को छोड़ते हुए शेष शानूराम के नाम दर्ज भूमि के सम्बन्ध में निर्णय पारित करें । उपखण्ड न्यायालय पदमपुर के उक्त रिमाण्ड निर्णय दिनांक 4.10.16 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

5. अपील सं0 33/2018 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड न्यायालय पदमपुर द्वारा प्रथम अपील सं0 5/2016 अनवान बन्नीबाई बनाम ग्राम पंचायत में पारित किये गये प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 4.10.16 की अनुपालना में तहसीलदार पदमपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण दर्ज किया जाकर पटवारी हल्का मक्कासर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी तथा वसीयत की आपत्ति बाबत विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत आदेश दिये । तत्पश्चात वसीयत के सम्बन्ध में कोई एतराज प्रस्तुत नहीं होने का उल्लेख करते हुए तहसीलदार पदमपुर द्वारा आदेश दिनांक 20.1.17 पारित कर वसीयत दिनांक 22.6.06 को सही मानते हुए जगन्नाथ पुत्र केवलराम के नाम की 2 बीघा भूमि को छोड़कर शानूराम के नाम से दर्ज शेष भूमि के सम्बन्ध में वसीयत अनुसार वसीयत में वर्णित व्यक्तियों के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश पटवारी हल्का को दिया गया । तहसीलदार (भू0अ0) पदमपुर द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 20.1.17 के विरुध्द अपीलान्ट थारुराम द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।

6. उपरोक्त दोनों अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया तथा रेस्पोन्डेंट को तलब किया गया ।

7. उक्त दोनों अपीलों में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपनी बहस में बताया कस्टोडियन विभाग द्वारा परिवार के आधार पर भूमि का आवंटन किया गया था, जिसकी खातेदारी सन्नद दिनांक 16.7.74 को जारी की गयी सन्नद में 1– शानू पुत्र, 2– शान्ति (पत्नी) 3– साधुराम (पिता) इन तीनों के नाम से खातेदारी सन्नद जारी हुई तथा तीनों के नाम से भूमि रहेगी । यह कि प्रकरण में शानूराम– शान्ति व साधूराम फौत हो चुके हैं । यह कि बन्नीदेवी रेस्पोन्डेंट सं01 ने शानूराम की पत्नी होना बताकर तथाकथित वसीयत दिनांक 22.6.06 में मुरब्बा सं0 11 में 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि बताई है । इस प्रकार शानूराम ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से 3 बीघा

5 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा जगन्नाथ को बेचान कर दी थी । इस प्रकार तीसरा हिस्सा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि शानूराम के नाम रही । जबकि वसीयत में बिना मालिक होते हुए 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि की वसीयत कर दी गयी, जो गलत है । शानूराम द्वारा 2 बीघा भूमि का बेचान करने से उसका राजस्व रिकॉर्ड 38 बिस्सा दर्ज किया व शान्ति व साधूराम का क्रमशः 78–78 हिस्सा दर्ज किया गया, जो नियमानुसार सही था। इस इन्तकाल के विरुध्द बन्नीदेवी द्वारा बिना अधिकार के उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की गयी, जिसमें अन्य को पक्षकार नहीं बनाया और मियाद बिन्दु तैय किये बिना अपील का निर्णय दिनांक 4.10.16 एक तरफा तौर पर पारित किया जाकर 2 बीघा भूमि को छोड़कर शेष भूमि का इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार पदमपुर को आदेश दिया । यह कि बन्नी देवी ने तहसीलदार पदमपुर के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 6.10.16 को एक नया दस्तावेज जो उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष अपील में नहीं था, वसीयत पेश की गयी । जिस पर तहसीलदार पदपुर ने एतराज बाबत अखबार में साया करवाया जाने का आदेश दिया, मगर सरसरी तौर बिना अखबार में साया करवाये, वर्ष 2015 के अखबार की प्रति पेश की जाकर बिना नोटिस दिये एक तरफा तौर पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 20.1.17 पारित कर वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया । यह कि अपीलान्ट मृतक साधुराम का एकमात्र पुत्र है, जो जीवित है। शानूराम 1 बीघा 5 बिस्वा से अधिक भूमि का हकदार नहीं है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का रिमाण्ड निर्णय दिनांक 4.6.16 एवं तहसीलदार पदमपुर का आदेश दिनांक 20.1.17 एवं पालना में दर्ज किया गया इन्तकाल दिनांक 15.2.17 को निरस्त फरमाया जावे । अपने कथन के समर्थ में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आरआरडी 1981 पेज 293, आरआरडी 1986 पेज 428, आरआरडी 1965 पेज 119 (limitation runs from date of knowledge) आरआरडी 2004 पेज 774, आरआरडी 1993 पेज 502, आरआरडी 1971 पेज 8, आरआरडी 1986 पेज 7, आरआरडी 1985 पेज 163, आरआरडी 1992 पेज 17, पेज 173, पेज 219, आरआरडी 1991 पेज 492, आरआरडी 1996 पेज 457, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1974पेज 450 अवलोकनीय बताया।

8. रेस्पोन्डेंट सं0 1 के अभिभाषक श्री कृष्ण बेनीवाल ने दोनों अपीलों में अपनी बहसमें बताया कि अपीलार्थी थारुराम को साधुराम का पुत्र बताया गया है, परन्तु इस बाबत कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है । बैयनामा के इन्तकाल सं0 194 में साधुराम के नाम से 78 हिस्सा जमीन कटिंग करके जोड़ा गया है । बैयनामा के इन्तकाल में सरपंच, ग्राम पंचायत को हिस्सा करने का अधिकार नहीं था । शानूराम की प्रथमपत्नी शान्तिदेवी का दिनांक 20.4.61 को मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा बन्नीबाई से शादी करने पर वह रिकॉर्ड पर आई है । अतः उपखण्ड न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.10.16 एवं तहसीलदार पदमपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में पारित किया गया निर्णय दिनांक 20.1.17 यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट्स निरस्त फरमाई जावे।

9. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय पदमपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.10.16 के विरुध्द इस न्यायालय में द्वितीय अपील सं0 32/2018 दिनांक 9.4.2018 को प्रस्तुत की गयी है । अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के विरुध्द कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है । अतः न्यायहित अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार की जाती है। उक्त अपील सं0 32/2018 में उभय पक्ष की बहस एवं रिकॉर्ड के अवलोकन अनुसार न्यायालय का निर्णय निम्नवत है :–

I. प्रकरण अनुसार चक 3 जेजे तहसील पदमपुर के मुरब्बा सं0 11 की 11.00 बीघा भूमि शानूराम पुत्र साधुराम जाति राजपूत के नाम से जीवों के आधार पर आवंटित होकर खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । जिसमें से शानूराम द्वारा 2 बीघा रकबा जगन्नाथ वल्द केवलराम को बेचान करने पर बैयनामा का नामान्तरकरण सं0 194 दिनांक 16.11.96 सरपंच, ग्राम.पं. 4 जेजे पंचायत समिति, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत किया जाकर शानूराम का 38 हिस्सा, शान्तिबाई पत्नी सानूराम का 78 हिस्सा व साधुराम पुत्र चेलाराम का 78 हिस्सा दर्शाया गया । । नामान्तरकरण सं0 194 में हिस्सा दर्ज करने में कॉलम सं0 9 में कटिंग कर ओवर राइटिंग की गयी है। प्रकरण में हिस्सा दर्ज करने व नामान्तकरण में कटिंग होने के आधार पर उक्त नामान्तरकरण सं0 194 दिनांक 16.11.96 के विरुध्द बन्नी बाई पत्नी शानूराम रेस्पोन्डेंट सं0 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष प्रथम अपील सं0 5/2016 प्रस्तुत की गयी, जिसमें उपखण्ड न्यायालय, पदमपुर द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 4.10.16 को निर्णय पारित कर प्रकरण तहसीलदार पदमपुर को बैयनामा के आधार पर जगन्नाथ द्वारा क्रय की गयी 2 बीघा भूमि को छोड़ते हुए शेष शानूराम के नाम दर्ज भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है । सरपंच ग्राम पंचायत चक 4 जेजे द्वारा बैयनामा के इन्तकाल सं0 194 में हिस्सा किस आधार पर दर्ज किया गया जबकि इन्तकाल में हिस्सों का वर्णन नहीं है । इस आधार पर हम उपखण्ड न्यायालय पदमपुर के रिमाण्ड निर्णय 4.10.16 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं । अतः उपखण्ड न्यायालय पदमपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.10.16 यथावत रखते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी द्वितीय अपील अपीलान्ट सं0 32/16 खारिज की जाती है ।

10. प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय पदमपुर के रिमाण्ड आदेश दिनांक 4.10.16 की पालना हेतु तहसीलदार पदमपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण दर्ज किया जाकर उसमें निर्णय दिनांक 20.1.17 पारित किया गया, जिसके विरुध्द अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील सं0 33/2018 दिनांक 9.4.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के विरुध्द कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है । अतः न्यायहित अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार की जाती है। उक्त अपील सं0 33/2018 में उभय पक्ष की बहस एवं रिकॉर्ड के अवलोकन अनुसार न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है :–

II. प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय पदमपुर द्वारा प्रथम अपील सं0 5/2016 अनवान बन्नीबाई बनाम ग्राम पंचायत में पारित किये गये प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 4.10.16 की अनुपालना में तहसीलदार पदमपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण दर्ज किया जाकर पटवारी हल्का मक्कासर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी । उक्त रिमाण्ड प्रकरण में ऑर्डर शीट दिनाक 7.12.16 के अनुसार श्रीमती बन्नीबाई द्वारा

तहसीलदार के समक्ष दिनांक 7.12.16 को शानूराम द्वारा की गयी पंजीकृत वसीयत दिनांक 22.6.06 एवं शानूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र की चित्र प्रति प्रस्तुत करने पर वसीयत की जांच हेतु न्यायालय तहसीलदार द्वारा वसीयत में आपत्ति या एतराज बाबत दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु आदेश दिया जाकर दिनांक 6.1.2017 की पेशी निर्धारित की गयी । तहसीलदार, पदमपुर के उक्त आदेशानुसार वसीयत में आपत्ति बाबत समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं करवाया गया, बल्कि पत्रावली में पूर्व की आपत्ति सूचना दिनांक 6.5.15 की प्रति संलग्न करते हुए ऑर्डर शीट लिखी गयी कि कोई पक्षकारान उपस्थित नहीं आये और नां ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी है । इसी आधार पर न्यायालय तहसीलदार द्वारा पत्रावली निर्णय हेतु रखी जाकर दिनांक 20.1.17 के आदेश द्वारा वसीयत दिनांक 22.6.06 को सही मानते हुए उपखण्ड न्यायालय पदमपुर के आदेशानुसार जगन्नाथ को विक्रय की गयी 2 बीघा भूमि को छोड़कर शानूराम के नाम की शेष दर्ज भूमि के बाबत वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश पटवारी हल्का को दिया गया । जिसकी पालना में वसीयति इन्तकाल सं0 610 दिनांक 15.2.17 दर्ज कर स्वीकृत किया गया है । न्यायालय के अनुसार तहसीलदार पदमपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में श्रीमती बन्नीबाई द्वारा वसीयत/मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने पर न्यायालय तहसीलदार के आदेश दिनांक 7.12.16 की पालना में वसीयत दिनाक 22.6.06 के सम्बन्ध में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में कोई विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं करवाया गया है । इसके अलावा वसीयत की गवाहान के आधार पर सरसरी जांच भी नहीं की गयी है। न्यायालय तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.1.17 नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार पदमपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में पारित किया गया आदेश दिनांक 20.1.17 एवं पालना में दर्ज किया गया नामान्तरकरण सं0 610/15.2.17 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार पदमपुर को इस निर्देश के साथ प्रति-प्रेषित किया जाता है कि शानूराम के नाम से दर्ज विवादित भूमि जो कि कस्टोडियन विभाग द्वारा जीवों के आधार पर आवंटित हुई है, के तथ्य को ध्यान में रखते हुए विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट थारुराम एवम् प्रभावित सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार युक्तियुक्त निर्णय पारित करें।

11. तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.10.19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर